हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16/11/2024

आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ~~सियाणा~~ कोलायत में प्रस्तुत हुई।

दोनों पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों की ओर से लिखित राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर अपील का निस्तारण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत अपील का निस्तारण राजीनामा के आधार पर प्रस्तुत आदेशिका के माध्यम से किया जाता है —

संक्षेप में प्रकरण के विनिश्चय हेतु आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही सियाणा आटियान तहसील कोलायत स्थित खेत खसरा नम्बर 25, 26 व 152 की कुल 21.22 हेक्टेयर भूमि के खातेदार हरि सिंह पुत्र भींव सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सियाणा सांखलान थे। उक्त खातेदार हरिसिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनकी फौतगी का विरासतन इन्तकाल सं. 277 उनके जायज वारिसान पत्नी व पुत्रगण पुत्रियों के नाम तहसीलदार राजस्व कोलायत में दिनांक 07-06-2017 को सत्यापित कर दिया। इसी आदेश से नाराज होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की और अपनी अपील ज्ञापन में अभिकथन किया कि आदेश मातहत न्यायालय इमप्रोपर, ईलीगल, गलत व खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के होने से अवैध है तथा इस आधार पर निरस्तनीय है। अपील प्रार्थना पत्र में यह भी अभिकथन किया कि आरजी खसरा नं. 225 तादादी 2.53 हेक्टेयर के खातेदार वर्तमान रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 8 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी ग्राम सियाणा आटियान की सम्वत 2073 से 2076 तक की जमाबंदी की खतौनी सं. 139 के अन्तर्गत ख.नं. 232 तादादी 36.07 हेक्टेयर भूमि में ये ही रेस्पोंडेन्ट संयुक्त खातेदार दर्ज है, जिसमें वे 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार अन्य सह खातेदारों के साथ दर्ज है। इस प्रकार आराजी ख. नं. 25, 26 व 152 की 21.22 हेक्टेयर अपीलान्ट की मालिकाना,

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं खातेदारी कब्जाना आराजी से रेस्पोडेन्ट का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। लेकिन राजस्व अमला के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गफलत एवं असावधानी के कारण अपीलांट के जीवित रहते रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पति व 2 ता 8 के पिता जिनका नाम व वल्दियत अपीलान्ट के समान होने के आधार पर अपीलान्ट की जमीन मृतक हरिसिंह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी सियाणा आटियान के वारिसान के नाम इन्तकाल आक्षेपाधीन दर्ज कर दिया जो सरासर गलत, अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन व दूषित आदेश है, जो अपीलान्ट के मालिकाना एवं स्वामित्व के अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है जो अपीलान्ट को संताप देने वाला है। अन्त में अपीलाधीन आदेश की सर्व प्रथम इसकी जानकारी में आने के तथ्यों का अभिकथन करते हुए इसे मंजूर कर अपीलाधीन आदेश को अवैध बताते हुवे इसे निरस्त कर ग्राम सियाणा आटियान की संवत 2073 से 2076 तक की जमाबंदी खतौनी सं. 175 नयी के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बरान की भूमि बहाल करते हुए पुन: इसकी खातेदारी में बांधे जाने एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से कलमजन (Delete) करने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश देने का निवेदन किया।

इस अपील के प्रस्तुत होने पर इसके प्रार्थीगण को समन दिये गये, लेकिन बाद में वर्ष सन 2020 में कोविड-19 की महामारी फैल जाने से पूरी तरह से जन-जीवन ठप हो जाने से अदालती कार्यवाहियां भी नहीं चली और इस कारण अपील में रेस्पोडेन्ट की तलबी व आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकी। आज कैम्प के सम्मुख दोनों पक्ष उपस्थित है तथा उनके मध्य राजीनामा होकर राजीनामा प्रपत्र आवेदनपत्र दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत हुआ है। जिसमें प्रत्यर्थीगण जमीन जेर अपील अपीलांट के खेत की एवं कब्जा अपीलार्थी की खातेदारी होना मान रहे है तथा इस अपील को मंजूर करने हेतु प्रार्थीगण सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर